न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

प्रा0पत्र संख्या–82/2019
प्रा0पत्र प्रस्तुति दिनांक–16.09.2019

उनवान

सरोज पुत्री सत्यनारायण जाति–जाट निवासी ग्राम चौगाई तहसील–पीपलू जिला–टोंक
(प्रार्थीया)

बनाम

तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक (अप्रार्थी)

अधिवक्ता प्रार्थीयॉ–श्री रामअवतार चौधरी

अधिवक्ता अप्रार्थीः–पैराकार सरकार

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

दिनांकः–11.10.2019

निर्णय

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खाता संख्या 44 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 467 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 895 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 896/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 45 में वर्णित भूमि ख0न0 463/2 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम चौगाई पटवार हल्का चौगाई भू0अ0नि0 राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित हैं। जिसमें प्रार्थीया संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पूर्व में प्रार्थीया के पिता सत्यनारायण के नाम दर्ज थी। सत्यनारायण के फौत हुई उस समय प्रार्थीया नाबालिग थी। जो कि विरासत नामान्तकरण भरते समय सरोज की जगह छोटा कर दिया गया जबकि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

सही नाम सरोज जाट पुत्री सत्यनारायण जाट कौम जाट हैं एवं प्रार्थीया वर्तमान में बालिग हैं एवं वर्तमान में राशन कार्ड, पहचान कार्ड, अंकतालिका, आधार कार्ड में सरोज जाट पुत्री सत्यनारायण जाट दर्ज हैं। अतः नाम दुरूस्ती हेतु प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जिसकों दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई थी। तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। जो पत्रावली शुमार हैं। तहसीलदार पीपलू ने रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की हैं।

हमने बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि प्रार्थीया के राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत बताते हुए प्रार्थीयॉ के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया। प्राथीयॉ ने अपने आवेदन के समर्थन में आधार कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की वर्ष 2014 की अंकतालिका की प्रति प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् आधार कार्ड एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की वर्ष 2014 की अंकतालिका एवं तहसीलदार पीपलू से चाही गई वास्तविक एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार, पीपलू की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 44 में वर्णित भूमि आराजी ख0न0 467 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 895 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा, ख0न0 896/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं खाता संख्या 45 में वर्णित भूमि ख0न0 463/2 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा वाकै ग्राम चौगाई पटवार हल्का चौगाई भू0अ0नि0 राणोली तहसील पीपलू जिला टोंक के राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीया का नाम छोटा के स्थान पर सरोज जाट पुत्री सत्यनारायण जाट दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार पीपलू आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करें। तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 11.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ.लक्ष्मीनारायण बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2019.12.10 14:58:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: